न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 67/2020 (75 एलआरए) मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00098)

मानसिंह आयु 35 साल वल्द श्री बापूसिंह जाति गुर्जर निवासी कोलवा गुर्जर तहसील गंगधार

..... **अपीलांट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... **रेस्पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार दिनांक 17.09.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 688/2020

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला।

2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन।

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 588/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधि[illegible] के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 688/2020 पटवारी हल्का [illegible] दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परंतु अतिक्रमी [illegible] सूचना के उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 17.09.2020 को निर्णय पारित किया गया कि मानसिंह आयु पिता श्री बापूसिंह जाति गुर्जर निवासी कोलवा गुर्जर तहसील गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा इस वर्ष संवत 2077 में खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Reason: SelfAttested

नं. 588/3, 631/1 रकबा 2.10 बीघा किस्म नाकाबिल काश्त पर कब्जा कर सोयाबीन बोकर व चारा काटकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 1685 निर्णय दिनांक 27.01.2020 से बेदखल कर राशि 138/- शास्ति कायम की गई थी। अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का बिशनिया के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम कोलवा गुर्जर की आराजी खसरा नं. 588/3, 637/1 रकबा 2.10 बीघा किस्म नाकाबिल काश्त पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 2.75 का 50 गुणा 138 रु. पेनल्टी भी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायमी पटवारी व टी.आर.ए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम देवरिया कांवल की आराजी खसरा नं 588/3,637/1 रकबा 2.10 बीघा किस्म काबिल काश्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थी मानसिंह आयु 35 साल वल्द श्री बापूसिंह जाति गुर्जर निवासी कोलवा गुर्जर तहसील गंगधार को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील सबजेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रेसयस तथा परवर्स होने तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गयी रिर्पोट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि पटवारी ने अपीलान्ट की मोजुदगी में पैमाइश नहीं की है। अपीलान्टस का कोई कब्जा आराजी खसरा नं. 588/3, 631/1 रकबा 2.10 बीघा किस्म नाकाबिल काश्त भूमि पर नहीं है, तथा पेनल्टी की राशि भी जमा कर दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया तथा बिना प्रार्थी के जवाब लिए व बिना साक्षय लिए प्रार्थी की गैर मोजुदगी में ही एक तरफा निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट को अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.09.2020 का ज्ञान सर्वप्रथम तब हुआ जब पुलिस दिनांक 05.11.2020 को तलाश करने आई। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपील अंदर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं एकतरफा होने से अपील स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2020 अपास्त किया जावे। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से अपील के संलग्न है।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समूचित अवसर नही दिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 17.09.20 को अटल सेवा केन्द्र रनायरा पर उपस्थित होने हेतु विधि अनुरूप नोटिस जारी किया था, इसलिये वकील अपीलान्ट का पहला तर्क मानने योग्य नही है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट का कोई कब्जा खसरा नं. 588/3, 631/1 रकबा 2.10 बीघा किस्म नाकाबिल काश्त भूमि पर नहीं है, तथा पेनल्टी की राशि [illegible], तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। [illegible] अधिवक्ता के अनुसार यदि अपीलान्ट का कोई कब्जा उक्त [illegible] नही है, उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का अतिक्रमण आराजी [illegible] था, यदि उसने निर्णय के पश्चात कब्जा छोड़ दिया है, तो भी उसे कानूनन कोई राहत नही मिल सकती। अतः कब्जा छोड़ने का आधार अपील में स्वीकार योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:45 IST
Reason: SelfAttested

9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया ओर अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो कि स्वीकार योग्य नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया था जिसके कम में अपीलान्ट को निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। इस संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट का अतिकमण होना प्रमाणित है क्योंकि जुर्माना राशि जमा करा दी है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिकमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिकमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2020 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

11 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:45 IST
Reason: SelfAttested